राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग

सं. एफ. 1(13)डीओपी/ए–II/90 जयपुर, दिनांक : 17.01.2017

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम, 1973 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** –(1) इन नियमों का नाम राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा सेवा (दूसरा संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये 01.01.2009 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. **अनुसूची का संशोधन** – राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम, 1973 से संलग्न अनुसूची में शीर्ष सामान्य विंग के उप–शीर्ष ग्रुप–ख के अधीन, –

(i) क्रम संख्यांक 3 के मद (ग) के सामने स्तंभ संख्यांक 3 में विद्यमान अभिव्यक्ति "50% सीधी भर्ती द्वारा और 50% पदोन्नति द्वारा " के स्थान पर अभिव्यक्ति "100% पदोन्नति द्वारा "प्रतिस्थापित की जायेगी ; और

(ii) क्रम संख्यांक 3 के मद (ग) के सामने स्तंभ संख्यांक 4 की विद्यमान प्रविष्टियां हटायी जायेंगी।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(सुनील शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव

4/2017